भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - *136

उत्तर देने की तारीख: 29/07/2025

स्थानीय सरकार में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

*136. श्री तमिलसेल्वन थंगा:

डॉ. गणपथी राजकुमार पी. :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्थानीय शासन में दिव्यांगजनों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर, जिसने हाल ही में इस संबंध में एक संकल्प पारित किया है, कोई विधेयक/प्रस्ताव लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'स्थानीय सरकार में दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व' के संबंध में माननीय सांसद श्री तमिलसेल्वन थंगा और डॉ. गणपथी राजकुमार पी. द्वारा दिनांक 29.07.2025 को पूछे गये लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 136 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार, पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य का विषय हैं, जिसका अर्थ है कि इस मामले में अलग-अलग राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) राज्यों को ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व सहित स्थानीय शासन संरचनाओं पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं। इन संशोधनों के अनुसार, प्रत्येक पंचायत/शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए उस विशेष क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। इसके अलावा, सभी सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें - जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं - महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, जिससे महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, यह संशोधन यदि आवश्यक हो, तो राज्य विधानसभाओं में, पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है। अत: स्थानीय निकायों में दिव्यांगजनों के लिए राजनीतिक आरक्षण के प्रावधान राज्य-विशिष्ट कानूनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और इस संबंध में एक-समान राष्ट्रीय अधिदेश नहीं है।

***